राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद स. 57 / 2022 जीसीएमएस नम्बर :– 2022 / 128

1. चन्दगीराम
2. औमप्रकाश
3. कंवरसिंह

} पुत्रान श्योनारायण नवीरा नाथाराम निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

.........वादीगण

– बनाम –

1. औमप्रकाश पुत्र जगन
2. कुरडा पुत्र जयमल
3. कृष्ण कुमार पुत्र रंगलाल
4. कोयली देवी पतिन रंगलाल
5. छाजू पुत्र जयमल
6. तोताराम पुत्र अमीचन्द
7. धर्मपाल पुत्र जगन
8. नीलम पुत्री रंगलाल
9. बदामी पत्नि जयमल
10. बलबीर पुत्र जगन
11. सुशीला पुत्री रंगलाल

} जातिगण अहीर निवासीगण मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

12. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

.... प्रतिवादीगण

दावा – घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती।

उपस्थिति –

1. श्री राजेश कुमार यादव , अधिवक्ता – वादी की ओर से ।
2. प्रतिवादी स. 1 लगायत 8 व 10 व 11 की ओर से श्री सुरेन्द्र यादव अधिवक्ता शेष प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुन्झुनूं (राज.)

–:: निर्णय ::–

दिनांक –7/02/2023

वादी की ओर से हस्तगत वाद पत्र – घोषणात्मक,रिकार्ड दुरूस्ती संक्षिप्ततः इन अभिवचनो के साथ प्रस्तुत किया गया हैं किः–

1. यह कि वाके ग्राम कला[illegible] तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज. स्थित भूमी हाल ख.न. 489 रकबा 0.36 हैक्टर के गत ख.न. [illegible] 1 बीघा 9 बिस्वा था भूमि गत ख.न.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:41:47 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

[illegible]कुमार यादव एड.
श्री मनु यादव एड.

370 वादीगण के हकपूर्वाधिकारी नाथाराम की खातेदारी मे थी नाथाराम के वारीसान वादीगण है।

2. इस प्रकार नाथाराम का एक मात्र पुत्र श्योनारायण था एवं श्योनारायण की मृत्यु सन् 2010 में हो चुकी है वादीगण ही उसके वारीसान है।

3. यह कि भूमि गत ख.न. 370 रकबा 1 बिघा 9 बिस्वा के खातेदार वादीगण के हकपूर्वाधिकारी नाथाराम था जब हाल बन्दोबस्त संम्वत 2035 से 2040 के मध्य अर्थात सन् 1976 से 1980 के मध्य बन्दोबस्त हुआ तो बन्दोबस्त विभाग के अधिकारीयों एवं कर्मचारीयों ने गत ख.न. 370 रकबा 1 बिघा 9 बिस्वा के हाल ख.न. 489 रकबा 0.36 है. बनाये गये है तथा बन्दोबस्त ने जब गत ख.न. 370 के हाल ख.न. 489 रकबा 0.36 है. बनाये तो इसकी खातेदारी बिना किसी हक अधिकार एवं अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गई। अर्थात वादीगण के स्थान पर इस भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 11 के नाम दर्ज कर दी गई जबकि बन्दोबस्त विभाग को वादीगण की भूमि की खातेदारी प्रतिवादी सं. 1 लगायत 11 या इनके हकपूर्वाधिकारीयों के नाम दर्ज करने का कोई हक व अधिकार नही था इसलिए बन्दोबस्त विभाग द्वारा बिना किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय अथवा डिक्री या आदेश अथवा हस्तानान्तरण विलेख के वादीगण की भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज करने का कोई हक व अधिकार नही था एवं बन्दोबस्त विभाग द्वारा की गई उक्त त्रुटि दुरूस्ती योग्य है।

4. यह कि वादीगण की भूमि गत ख.न. 370 हाल ख.न. 489 की खातदेारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज करने से वादीगण को ऐसी अपूर्तनीय क्षति है जिसका मुद्रा में मूल्याकंन नही किया जा सकता है। इसलिए वादीगण के लिये अपने खातदेारी अधिकारों की घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती हेतु यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

5. यह कि दावा के लिये आधार विवाद वाद वर्णित भूमि गत ख.न. 370 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा हाल ख.न. 489 रकबा 0.36 है. वादीगण की खातेदारी की होने व बन्दोबस्त विभाग द्वारा गलत रूप से वादीगण की भूमि प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज कर देने से पैदा हुआ है अतः दावा अन्दर मियाद है।

6. यह कि वाद वर्णित भूमी वाके ग्राम कलाखरी में स्थित हैं जो न्यायालय श्रीमानजी की हदूद मे स्थित हैं इसलिए यह दावा सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमानजी को प्राप्त हैं।

7. यह कि दावा घोषणात्मक के लिए 1/–रू. कोर्ट फीस नियत हैं इसलिए दावा 1/–रू. कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमानजी की सेवामे पेश हैं।

8. यह कि वाद पत्र द्वितिय प्रति में हैं एवं वाद पत्र के समर्थन पत्र वादी का शपथ पत्र पेश हैं।

9. यह कि वाद वर्णित भूमि का अपडेटेड रिकार्ड पेश है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन हैं कि :–

(A). कि वाके ग्राम कलाखरी तहसील बुहाना स्थित भूमी ख.न. 489 रकबा 0.36 हैक्टर का वादीगण को खातेदार घोषित कर प्रतिवादीगण के स्थान पर वादीगण का बहिस्सा बराबर दर्ज कर रिकार्ड [illegible] करे।

(B). कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण [illegible] कर अन्य कोई अनुतोष जो सहवन से अयाचित रह गया हो [illegible] जिसके [illegible] हकदार हो वादीगण को दिलवाया जाने कि कृपा करें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:41:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

दावा दर्ज रजिस्ट्रर कर तलबी प्रतिवादीगण की जारी की गई प्रतिवादी स. 1 लगायत 8 व 10 व 11 की ओर से सुरेन्द्र यादव अधिवक्ता उपस्थित आए जिन्होने ईकबाली जवाब पेश किया प्रतिवादी स. 9 की मृत्यु होना एवं उसके वारीसान पहले से ही प्रतिवादी के रूप मे पक्षकार होने कथन करते हुए उसके नाम के आगे फौत लिखे जाने का निवेदन किया एवं वादीगण के दावे का समर्थन किया वादीगण के वाद पत्र का खण्डन नही होने से बहस सुनी गई पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अध्ययन किया गया जमाबन्दी संवत् 2012 से लेकर 2029 से 2032 का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार गत खसरा न. 370 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा भूमी नाथाराम पुत्र हुक्मा की खातेदारी मे दर्ज रही बन्दोबस्त के बाद नये खसरा न. 489 रकबा 0.36 हैक्टर कायम किये गये आधार जमाबन्दी संवत् 2043 से 2046 में भूमी हाल खसरा न. 489 रकबा 0.36 हैक्टर अमीचन्द पुत्र नानीग के नाम दर्ज हुई उसके बाद उसके वारीसान के दर्ज हुई हैं जबकि बन्दोबस्त विभाग ने यह त्रृटि भूलवश की हैं जो दुरूस्ति योग्य तथा प्रतिवादीगण द्वारा इस सम्बध मे इकबाली जवाब भी पेश किया गया इस प्रकार वादीगण का दावा साबित होने से डिक्री योग्य है।

— :: आदेश ::—

न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम कलाखरी तहसील बुहाना स्थित भूमी ख.न. 489 रकबा 0.36 हैक्टर का वादीगण को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित कर प्रतिवादीगण के स्थान पर वादीगण का बहिस्सा बराबर खातेदारी मे दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता हैं, तहसीलदार बुहाना इसी राजस्व रिकॉर्ड मे पालना करे । **रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे।** उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हों ।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना

यह निर्णय आज दिनांक 07/02/2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्राकिंत कर खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:41:47 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलैक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :— सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद स. :— 57 / 2022 जीसीएमएस नं.— 2022 / 128

चन्दगीराम आदि **बनाम** औमप्रकाश आदि

दावा —धोषणात्मक , रिकार्ड दुरूस्ती

वादीगण की ओर से श्री **राजेश यादव एडवोकेट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 8, 10, 11 की ओर से **श्री सुरेन्द्र मानपुरा एडवोकेट की** उपस्थित इस वाद में आज तारीख 7/2/23 को सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी बुहाना के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता हैं और डिक्री दी जाती हैं कि—

'' न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम कलाखरी तहसील बुहाना स्थित भूमी ख.न. 489 रकबा 0.36 हैक्टर का वादीगण को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित कर प्रतिवादीगण के स्थान पर वादीगण का बहिस्सा बराबर खातेदारी मे दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता हैं, तहसीलदार बुहाना इसी राजस्व रिकॉर्ड मे पालना करे । रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। ''

खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 7/2/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलैक्टर बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:41:47 IST
Reason: SelfAttested